

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 12-35/2016/नियम/चार,
प्रति,

संचालक
पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा
मंत्रालय, भोपाल ।

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 2016

विषय- शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में ।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक संपे।आठ/पी-9/2016/1420 दिनांक 22-9-2016.

-••-

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 9-7-2014 के पूर्व अन्यथा निर्णित प्रकरणों पर पुनर्विचार के निर्देश नहीं है । अतः इस आदेश के जारी किए जाने के पूर्व वसूल की गई ब्याज राशि की वापसी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा ।


(शालिनी भारसकरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग



**संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग**

पृष्ठांक/संपे/आठ/पी-09/2016/2185
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22/12/2016

1. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. सहायक प्रोग्रामर (कार्यालय) की ओर विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।


संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
22/12/2016